



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर

आवेदन नं. 184616

आवेदन का प्रकार : नवीन मान्यता

मान्यता दिनांक - 27/02/2025

प्रति,

आश्रम,

Suman Devi Sikshan Sansthan

Doon International School

JABALPUR (RURAL), जबलपुर, मध्यप्रदेश

**विषय:-** नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रदान पक्ष।

मान्यता / महोदय,

आपके आवेदन पक्ष दिनांक 23/01/2025 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वार्थी पक्ष व्यवहार/ नियोजन के संदर्भ में, मैं आपके - Doon International School स्कूल आईडी - PS121873 नियोजित - JABALPUR (RURAL) को स्कूल का प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक, शिक्षण का मान्यम अधिकारी कक्षा तीन प्राइमरी-जर्सी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2025 से 31/03/2028 तक बहालवापि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति नियन्त्रित शर्तों की पूर्ति के अध्याद्धोन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपनियमों का पालन करेगा।
3. स्कूल, आपने पढ़ोन की सीमा के विचित समूह तथा कालोर, कर्म के बालकों को स्कूल की प्रधम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल वही सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि.शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देगा। जिस रूप में उसके वार्षिक आवार्दी व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रवाह वार्षिक आवार्दी सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की बारें तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाली उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटीस्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संघर्ष नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
  - (क) आपु के सबूत के आधार में,
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश बाहा गया है;
  - (ग) घर, जाति या सूलवंश, बन्मस्थान या इनमें से किसी भी आपार पर।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्दर कक्षाओं में बाधा रहता कक्षोन्तति प्रदान की जाएगी।
  - (ग) किसी बालक को शारीरिक उष्ण या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।
  - (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रारंभिक बालक को प्रयाण पत्र दिया जाएगा।
  - (इ.) अधिनियम के उपनियमों के अनुसार दिव्यांग/रिंगों आवारकाना बाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - (ज) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन नियर्हीत गोप्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रहे जायें। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित माध्यमों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षकों की नियुक्ति की अवधाक्षा बनाए रखी जायेगी।
  - (च) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियोग उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा।
  - (ज) प्राप्येट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे।

*Deepti S*

Principal  
Doon International School  
Jabalpur (M.P.)

**Suman Devi Sikshan Sansthan**

**Chairman**

- (अ) भारत की राष्ट्रीय भवन सहित भाग-4 के अधीन विनियोग सम्बन्धों के अनुकूल अधिक सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
- (ब) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा ईकायिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना ईकायिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।
- माध्यप्रदेश नियंत्रित विधालय विनियोग बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बदलाव की जा सकती है।
8. स्कूल सम्बन्धित प्राधिकारी व्यापार नियंत्रित पाद्यवर्ष का अनुसरण करेगा।
  9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार में बालकों का नामांकन करेगा।
  10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनियोग स्कूल के मानक एवं वापराण्ड बनाए रखें जाएंगे। अंतिम नियोग के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गईं।

1. स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन
2. स्कूल परिवर्तन के सेक्युरिटी	231424
3. कुल निर्वित क्षेत्रफल	42102
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	100000
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	15
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	16
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पुरुष प्रसाधन	हो
8. स्वच्छ प्रेयवत सुविधा	हो
9. मध्याह्न धोजन के लिए रसोई घर	3
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	हो
11. पठन-पाठन सामग्री	हो
12. खेल एवं खेलकूट उपकरण	हो
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	हो
14. शिक्षकों नीं सहजा	15
15. लेनदेन संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा सत्त्वापित होंगे और उचित लेनदेन विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्राचेक लेनदेनों के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष नियंत्रण परियोजना सम्बन्धिकारी भेजी जाएगी।	
16. आपके स्कूल वाले आवंटित मानवता कोड नम्बर 121873 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में वह कोड सम्बन्धित करि जाएं।	
17. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/एजेंट विकास विकास बोर्ड द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए।	
18. और स्कूल द्वारा सारकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को नूट करने के लिए अधिकारी मानवता की शर्तों की नियन्त्रण पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किया जाए।	
19. यदि कोई शाल्त उसके हाथों को जाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि जाहन हेतु सम्बन्ध द्वारा वया विहित सुरक्षा सम्बन्धीय कानूनों के उल्लंघन पाए जाने पर समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी नियंत्रणों का पालन करना होगा।	
20. सोशलमीडिया, के पंजीकरण का नवीकरण किया जाएगा।	
21. अधिनियम एवं नियम के उपायों और मानवता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर समय-समय पर जाहन की सुरक्षा का पालन करना होगा।	

भवदीय,

जिला परियोजना सम्बन्धिका

जिला शिक्षा केंद्र

Digital Signature  
Digitally signed by YOGESH SHARMA  
Date: 2025.02.27 14:30:39 +05:30  
Reason: RTE school recognition  
Location:

\* मानवता प्रभाग पर जिला परियोजना सम्बन्धिका द्वारा डिजिटल हैप्प में हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की जरूरत अवश्यकता नहीं है।

R.S  
Rajendra Singh Saini (Saini)

Deepti S  
Principal  
Doon International School  
Jabalpur (M.P.)